फा.सं. : 1-6/हि.प्र.के.वि./सा.प्र./2010/खंड-XIV/1647-57
हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Himachal Pradesh
(सामान्य प्रशासन / General Administration)

धर्मशाला – 176215, 28 मार्च, 2021

कार्यालय आदेश

राजस्व विभाग, आपदा प्रबंधन सैल, हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेश सं. Rev(DMC)(C) 20-2/2021-COVID-19-III दिनांक 26.03.2021 के अनुसरण में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में हुई अधिष्ठाताओं एवं विभागाध्यक्षों की बैठक दिनांक 27.03.2021 के निर्णय के अनुसार हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला, शाहपुर एवं देहरा स्थित समस्त परिसरों में सभी प्रकार की ऑफलाइन शैक्षणिक गतिविधियों को दिनांक 04.04.2021 तक स्थगित किया जाता है । उक्त अवधि के दौरान समस्त परिसरों में सभी प्रकार की शैक्षणिक एवं अकादमिक गतिविधियां केवल ऑनलाइन माध्यम से संचालित रहेंगी । तथापि, जिन विभागो में वर्तमान में छात्रों की परीक्षायें संचालित हो रहीं हैं वह COVID-19 के अंतर्गत भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन करते हुए पूर्व निर्धारित डेटशीट के अनुसार यथावत ऑफलाइन माध्यम से संचालित होती रहेंगी ।

2. विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं शिक्षकेतर कर्मीगण पूर्व की भांति कार्यालय आते रहेंगे एवं विश्वविद्यालय के छात्रावास भी यथावत छात्रों की सुविधार्थ खुले रहेंगे । माननीय कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय के समस्त परिसरों / कार्यालयों में **'No Mask, No Service & No Entry'** का सख्ती से पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने का आदेश दिया है । उक्त आदेशों का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 के अतिरिक्त आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 में वर्णित दण्डात्मक प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

3. यह माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

(हेम राज)
कुलसचिव (अतिरिक्त प्रभार)

पृष्ठांकन सं. समसंख्या **दिनांक 28.03.2021**

1. मानद निदेशक, सप्त सिंधु परिसर, हि.प्र.के.वि., देहरा, जिला कांगड़ा (हि.प्र.) ।
2. समन्वयक, हि.प्र.के.वि., अस्थायी शैक्षणिक खण्ड, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि.प्र.) ।
3. वित्त अधिकारी, हि.प्र.के.वि., धौलाधार परिसर, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि.प्र.) ।
4. परीक्षा नियंत्रक, हि.प्र.के.वि., कैंप कार्यालय, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि.प्र.) ।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, हि.प्र.के.वि., अस्थायी शैक्षणिक खण्ड, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि.प्र.) ।
6. विश्वविद्यालय के धर्मशाला/शाहपुर/देहरा परिसर स्थित विभिन्न स्कूलों के सभी अधिष्ठाता ।
7. विश्वविद्यालय के धर्मशाला/शाहपुर/देहरा परिसर स्थित विभिन्न विभागों के सभी विभागाध्यक्ष।
8. विश्वविद्यालय के धर्मशाला/शाहपुर/देहरा परिसर स्थित विभिन्न केन्द्रों के सभी निदेशक ।
9. विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रावासों में तैनात वार्डन, हि.प्र.के.वि., धर्मशाला / कांगड़ा ।
10. कुलपति, हि.प्र.के.वि. के निजी सचिव- कृपया माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ ।
11. विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक एवं शिक्षकेतर कर्मीगण, हि.प्र.के.वि., धर्मशाला/देहरा/शाहपुर ।

कुलसचिव (अतिरिक्त प्रभार)